प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 30.01.2026

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा 10 शातिर अपराधियो के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री जे. रविंदर गौड व श्रीमान पुलिस उपायुक्त नगर महोदय, कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री धवल जायसवाल के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराध नियंत्रण हेतु 10 शातिर अपराधियो के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है, जिनका विवरण निम्नवत है।

क्र0सं0	अपराधी का नाम	थाना
1	विशाल उर्फ विशु डागर पुत्र देवेन्द्र सिंह नि0 म0नं0 537 गली नं0 03 कृष्णानगर थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद। उम्र 28 वर्ष	नन्दग्राम
2	मनीष पुत्र अनिल नि0 म0नं0 269 विकलांग कालोनी थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद। उम्र 25 वर्ष	नन्दग्राम
3	शिवम पुत्र देवेन्द्र नि0 35 किशोरी नगर रविदासनगर पटेलनगर, थाना सिहानीगेट, गाजियाबाद। उम्र 21 वर्ष	सिहानीगेट
4	गौरव गुप्ता उर्फ पल्सर पुत्र सुधीर गुप्ता नि0 म0नं0 165 सी ब्लॉक लोहियानगर थाना सिहानीगेट, गाजियाबाद। उम्र 30 वर्ष	सिहानीगेट
5	विशाल उर्फ नेता पुत्र अनुज नि0 उत्तम स्कूल के पास म0न0 242 ग्राम रजापुर शास्त्रीनगर थाना कविनगर, गाजियाबाद। उम्र 24 वर्ष	कविनगर
6	यश पुत्र करण नि0 शिव मंदिर के पास ग्राम मोरटा थाना मधुबन बापूधाम, गाजियाबाद। उम्र 21 वर्ष	मधुबन बापूधाम
7	रोहित उर्फ रोहन पुत्र सत्ते उर्फ सत्यप्रकाश नि0 जहारवीर वाली गली ग्राम मोरटा थाना मधुबन बापूधाम, गाजियाबाद। उम्र 35 वर्ष	मधुबन बापूधाम
8	लक्ष्य उर्फ शानू उर्फ सोनू पुत्र राजेश कुमार नि0 जीडीए कालोनी विल्गा पैलेस के सामने थाना सिहानीगेट, गाजियाबाद। उम्र 21 वर्ष	सिहानीगेट
9	सोनू उर्फ सुहैल पुत्र असगर नि0 म0न0 292 गली नं0 12 मिर्जापुर थाना विजयनगर, गाजियाबाद। उम्र 32 वर्ष	विजयनगर
10	अमरजीत पुत्र नन्दकिशोर नि0 म0नं0 944 ननकी चौक लक्ष्मण वाली गली थाना विजयनगर, गाजियाबाद। उम्र 28 वर्ष	विजयनगर

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा वादी के पुत्र को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के अभियोग में वाँछित 02 अभियुक्ता गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 16.10.2025 को थाना टीलामोड़ पर वादी मौहम्मद जुबैर निवासी मकान संख्या 2769 नूर हसन कॉलोनी पसौण्डा साहिबाबाद गाजियाबाद ने लिखित तहरीर दी और बताया कि मेरे पुत्र मोहम्मद रेहान के साथ उसकी पत्नी अर्शी और सास शकीला तथा उसका बहनोई फहीम व बहिन सुमाएला एवं उसके परिवार के लोगों ने मारपीट गाली-गलौच कर बेज्जत किया और आत्महत्या करने के लिए उकसाया। जिसके उपरांत मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली। जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 108 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटनाक्रम में आज दिनांक 30.01.2026 को थाना टीलामोड पुलिस टीम द्वारा वादी के पुत्र को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के अभियोग में वाँछित 02 अभियुक्ता 1. अर्शी पुत्री सोहेल निवासी म0न0 44/12 प्रताप विहार थाना विजय नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष व 2. शकीला पत्नी सोहेल निवासी म0न0 44/12 प्रताप विहार थाना विजय नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष को उनके मसकन थाना विजयनगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ताओं के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्ताओं से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्ता अर्शी ने मतृक रेहान से 2024 में शादी की थी। जिसके बाद दोनों में पारिवारिक झगड़े और धीरे-धीरे दोनों में अनबन होने लगी। जिसके बाद मृतक की पत्नी और उसके परिजनों ने मृतक के साथ गाली-गलौच और झगड़े होने के कारण वादी के पुत्र ने फाँसी लगा ली।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का नाम व पताः-

1. अर्शी पुत्री सोहेल निवासी म0न0 44/12 प्रताप विहार थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।
2. शकीला पत्नी सोहेल निवासी म0न0 44/12 प्रताप विहार थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार दोनों अभियुक्ताओं के विरूद्ध थाना टीलामोड पर आत्महत्या करने के लिये उसकाने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 29.01.2026 को थाना अंकुर विहार पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 28.01.2026 को मेरी भतीजी ने धीरज कुमार की मानसिक व शारीरिक प्रताडना से तंग व दुखी होकर आत्महत्या कर ली है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल सुसंगत धारा- 108 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 30.01.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त धीरज कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार निवासी केशव कॉम्पलैक्स डीएलएफ थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 38 वर्ष को महाकाल मन्दिर के पास थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं प्रोपर्टी डीलर का काम करता हूँ तथा मृतका मेरे यहाँ पर लगभग 4-5 सालों से काम करती थी। मृतका अपनी मां और बहन के साथ किराये पर रहती थी। वह

अपने घर में अकेली ही कामने वाली थी। विगत 4-5 महीनों से मैं उसको वेतन नहीं दे पा रहा था और वह मुझसे वेतन मांगती रहती थी। इसी बात को लेकर हम दोनों में कई बार झगडा भी हुआ था। वेतन न मिलने के कारण वह काफी दुखी और परेशान रहती थी, जिस कारण उसने दुखी होकर आत्महत्या कर ली।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

धीरज कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार निवासी केशव कॉम्पलैक्स डीएलएफ थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 38 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त को मय घटना में प्रयुक्त एक लाइसेंसी राइफल .315 बोर मय कारतूस जिंदा व खोखा के साथ गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 29.01.2026 को थाना मसूरी पर वादी वाहिद निवासी मुगल गार्डन थाना मसूरी गाजियाबाद ने थाना पर उपस्थित आकर एक तहरीर अपने पडोसी लुकमान द्वारा अपनी लाइसेंसी राइफल से फायर हो जाने के कारण वादी की पत्नी के पैर में गोली लग जाने के सम्बध में दी थी जिसके संबंध में वादी की तहरीर पर थाना मसूरी पर धारा 288/125 (बी) बीएनएस व 30 आर्म्स एक्ट में अभियोग पजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 30.01.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त लुकमान पुत्र इरशाद अली निवासी नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद हाल निवासी मसूरी थाना मसूरी गाजियाबाद को मय घटना में प्रयुक्त एक लाइसेंसी राइफल .315 बोर मय कारतूस जिंदा व खोखा के साथ मुगल गार्डन मसूरी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरा घर वादी के पडोस में है, मैं दिनांक 29.01.2026 को अपने मकान की बालकनी में अपनी लाइसेंसी राइफल को साफ कर रहा था। मेरे पडोसी वाहिद की पत्नी अपनी छत पर खडी थी तभी मेरी लाइसेंसी राइफल से मेरी लापरवाही से फायर हो गया जिससे वादी की पत्नी के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

लुकमान पुत्र इरशाद अली निवासी नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद हाल निवासी मसूरी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

01 लाइसेंसी राइफल 315 बोर मय कारतूस जिंदा व खोखा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मसूरी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

स्वाट टीम, अपराध शाखा द्वारा फर्जी डॉक्टर बनकर मेडिकल फार्मेसी को कॉल कर धोखाधड़ी से फर्जी चैक देकर दवाईयों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 04 अभियुक्त गिरफ्तार, जिनसे भारी मात्रा में सिमकार्ड एवं दवाईयां बरामद।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में, अपर पुलिस उपायुक्त, अपराध के पर्यवेक्षण में सहायक पुलिस आयुक्त अपराध के नेतृत्व में स्वाट टीम, अपराध शाखा द्वारा आज दिनांकः 30.01.2026 को मुखबिर की सूचना पर फर्जी डॉक्टर बनकर मेडिकल फार्मेसी को कॉल कर धोखाधड़ी से फर्जी चैक देकर दवाईयां ले जाने वाले ठगो के गिरोह को थाना क्षेत्र कोतवाली रेलवे स्टेशन गाजियाबाद के पास माल गोदाम रोड़ से गिरफ्तार किया गया। जिनसे भारी मात्रा में सिमकार्ड एवं दवाईयां बरामद हुई हैं। उक्त गिरोह के द्वारा की गयी ठगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली कमिश्नरेट गाजियाबाद पर मु0अ0सं0 24/2026 धारा 318(4)/319(2) बी0एन0एस0 व थाना सिहानीगेट पर मु0अ0सं0 42/2026 धारा 318(4)/319(2) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत है।

पूछताछ का विवरण– चारों अभियुक्तगणों से पूछताछ पर जानकारी हुई अभियुक्त मुकेश तनेजा गैंग का सरगना है, जो पूर्व में भी रोहिणी नोर्थ दिल्ली से इसी तरह के Modus Operandi में जेल जा चुका है। उक्त गैंग के द्वारा अब तक इण्डिया मार्ट के माध्यम से मेडीकल फार्मेसी के मोबाइल नम्बरों को प्राप्त कर फर्जी डॉक्टर बन फार्मेसियों पर कॉल करते हैं तथा फार्मेसियों पर लाखों रूपयों की मंहगी दवाईयों का आर्डर देकर दवाईयों को ले जाते हैं तथा फर्जी चैक फार्मेसी के नाम देकर फरार हो जाते हैं। बैंक में फार्मेसी द्वारा चैक लगाने पर हस्ताक्षर मिलान न होने पर चैक बाउंस हो जाता है। इस तरह से अब तक उक्त गैंग द्वारा लगभग 50–60 फार्मेसियों को करोड़ो रूपयों का चूना लगाकर ठगा गया है।

दिनांकः 26.11.2025 को जनपद गाजियाबाद में आर0के0हेल्थकेअर एण्ड सर्जिकल फार्मेसी अंसल प्लाजा चिंरजीव विहार से इसी तरह एम0एम0जी0 हॉस्पीटल डॉक्टर तुषार अग्रवाल(एच0ओ0डी0) के नाम कॉल कर करीब 1.50 लाख रूपयों की दवाईयों का ऑर्डर देकर फर्जी चैक देकर वादी मुकदमा से ठगी कर घटना को अंजाम दिया गया।

दिनांकः 01.01.2026 को जनपद गाजियाबाद के निकोल इन्टरप्राइजेज लोहिया नगर सिहानीगेट से इसी तरह डॉ0भीमराव अम्बेडकर मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल सेक्टर–30 नोएडा के डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता(एच0ओ0डी0) के नाम कॉल कर करीब 1.09 लाख रूपयों की दवाईयों का ऑर्डर देकर फर्जी चैक देकर वादी मुकदमा से ठगी कर घटना को अंजाम दिया गया।

उक्त गिरोह को फर्जी सिम/चैक दीपक उर्फ मिठ्ठू निवासी हांसी, रोहतक हरियाणा के द्वारा उपलब्ध कराया जाता था तथा उक्त दवाओं को अपने साथी साहिल खुराना निवासी रोहतक के माध्यम से ओने–पोने दामो में बेचा करते हैं। दीपक व साहिल दोनों ही फरार हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है। इस गिरोह के द्वारा भारतवर्ष के विभिन्न शहरों भोपाल, जयपुर, सूरत, अहमदाबाद, गुडगांव, पानीपत, मुरादाबाद, अम्बाला, चण्डीगढ, नोएडा व दिल्ली एनसीआर के सिविल/जिला अस्पतालों के फर्जी डॉक्टर बन मेडीकल फार्मेसियों को फर्जी चैक देकर धोखाधडी कर घटनाओं को अंजाम दिया गया है।

आज दिनांकः 30.01.2026 को गाजियाबाद में साहिल खुराना के बताये अनुसार बरामद दवायों की बिक्री हेतु आये हुये थे। जिनकी गिरफ्तारी की गयी है। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी में थाना कोतवाली व थाना सिहानीगेट पर पंजीकृत अभियोग के विवेचकों द्वारा आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण–

1. मुकेश तनेजा पुत्र रामप्रकाश तनेजा निवासी मकान न0 156/15 साई दास कालोनी थाना सब्जी मण्डी जिला रोहतक हरियाणा उम्र करीब 47 वर्ष
2. अमित खुराना पुत्र मुलकराज खुराना निवासी 126ए/19 सिविल अस्पताल के पास वाली गली थाना आर्यनगर रोहतक हरियाणा उम्र करीब 39 वर्ष
3. दीप सिंह चुग पुत्र स्व0 अशोक चुंग निवासी किराये पर मकान न0 220/15 साई दास कालोनी थाना सब्जी मण्डी जिला रोहतक हरियाणा उम्र करीब 36 वर्ष
4. मुकेश अखरिया उर्फ सुन्दर पुत्र ज्ञानचन्द निवासी मकान न0 132/15 साई दास कालोनी थाना सब्जी मण्डी जिला रोहतक हरियाणा उम्र करीब 35 वर्ष

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण–

1. SOPDOX 200 DT BATCH- CT0525008C – 01- बॉक्स TABLETS- (10*10),
2. Albutas 100 ml BATCH - 97040111.- 05 अदद,
3. Esentra 120 – 3 unit BATCH -23210027-1 UNIT /23210028-2 UNIT(थर्माकॉल बाक्स में)
4. LMW 5036 BATCH – BS5029 cubics silk suture – 2 बॉक्स अदद (2*12)
5. Augustomax-625 BATCH- TB250105A- 3 बॉक्स (10*10 per box)
6. Theomox- CLV 375mg BATCH- BT250938 – 1 बॉक्स (10*1*6 tablets)
7. Theomox DC-LB BATCH- BC250107 2 बॉक्स (20*10)
8. Cephadex 500 mg BATCH- C3165038 – 1 (20*10 capsules)
9. Cefixsen 200 DT BATCH- TB24086– 1 बॉक्स – (20*10)
10. MOFECON 500 BATCH- MVIN24010A -01 अदद बॉक्स - TABLETS (3*10) TABLETS ,
11. Us 2421 – cubics polyglactin BATCH – PL5136 – 1 बॉक्स (12 unit)
12. R-RAB DSR BATCH- GC250020- 2 बॉक्स (20* 10 capsules)
13. Mounjaro kwikpen BATCH- D938367 15 mg – 2 पीस,
14. Ryzodeg pencil BATCH- RS6NR55- 20 unit (4*5),
15. POMIDE 2 MG CAPSULES BATCH -AC25402A -1 बॉक्स - 21 CAPSULES,
16. ETIBO 250 MG BATCH -TLAPA1508 -1 बॉक्स -30 CAPSULES,
17. P-PAN DSR BATCH- GC250021- 2 बॉक्स (20*10 capsules),
18. RABIUM-20 BATCH-N2500927, 1 बॉक्स - (15*15) TABLETS,
19. VELOZ-20 BATCH-2D56L110- TABLETS- (4*15),
20. TERABET CREAM BATCH- DLQM4003- 2 पीस ,
21. ENTAVIR TABLETS BATCH-5BA0567, 5*10,
22. VIGOQUIN-T BATCH- ADX01AGA EYE DROPS,
23. GEOMAX 3G BATCH- LAF25011 CAPSULES (1*10),
24. SEROFLO INHALER BATCH- 4SN1389- 01 अदद,
25. CIPZEN FORTE BATCH- 4B50481- TABLETS(10*10),
26. Dapaglyn M 500 BATCH- EMV250328 – 10 बॉक्स (10*15),
27. Azitis-500 BATCH- DT5F017 – 3 बॉक्स (20*1*3 tablets),
28. Pentate DSR BATCH- E5J0873 – 2 बॉक्स – (10*10),
29. NUCOXIA 60 BATCH- 1500097- TABLETS(3*3*15) TABLETS,
30. ZUCAPRIDE 10 BATCH- ZCPY0024- TABLETS- (5*15) TABLETS,
31. INVOKANA 100 MG BATCH- NKL0X00- TABLETS (3*10),

32. SILOJECT BATCH- JE24015 8 TABLETS - (1*10),

33. ISOTINE EYE DROP- 4 PACKET- (6 PIECE EACH),
34. CLINDAC A – MIST SPRAY BATCH- 25280253- 100 ML-1 पीस,
35. PLACENTREX GEL BATCH-24D073- 3 पीस, 24- DORTAS-T EYE DROPS BATCH- D24H03-2
36. 01 अदद मोबाइल फोन
37. 31 अदद सिमकार्ड विभिन्न कंपनियों (एयरटेल, जियो व वीआई)

आपराधिक इतिहास–

मुकेश तनेजा पुत्र रामप्रकाश तनेजा उपरोक्तः–
1. मु0अ0सं0 258/2022 धारा 120बी,420,468,471 भादंवि थाना रोहिणी नोर्थ दिल्ली।
2. मु0अ0सं0 24/2026 धारा 318(4)/319(2) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली कमिश्नरेट गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0 42/2026 धारा 318(4)/319(2) बी0एन0एस0 थाना सिहानीगेट कमिश्नरेट गाजियाबाद।

अमित खुराना पुत्र मुलकराज खुराना उपरोक्तः–
1. मु0अ0सं0 24/2026 धारा 318(4)/319(2) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली कमिश्नरेट गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 42/2026 धारा 318(4)/319(2) बी0एन0एस0 थाना सिहानीगेट कमिश्नरेट गाजियाबाद।

दीप सिंह चुग पुत्र स्व0 अशोक चुंगः–
1. मु0अ0सं0 24/2026 धारा 318(4)/319(2) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली कमिश्नरेट गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 42/2026 धारा 318(4)/319(2) बी0एन0एस0 थाना सिहानीगेट कमिश्नरेट गाजियाबाद।

मुकेश अखरिया उर्फ सुन्दरः–
1. मु0अ0सं0 24/2026 धारा 318(4)/319(2) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली कमिश्नरेट गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 42/2026 धारा 318(4)/319(2) बी0एन0एस0 थाना सिहानीगेट कमिश्नरेट गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली टीम–
1. स्वाट टीम, क्राइम ब्रान्च, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।
2. थाना कोतवाली, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को दिलाई आजीवन कारावास की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर अधिकाधिक सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक श्री संतोष कुमार तिवारी तत्कालीन थाना प्रभारी थाना खोड़ा द्वारा सुसंगत साक्ष्यों के क्रम में की गयी उच्च गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीमती ममता गौतम द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना खोड़ा, गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 147/302/342 भादवि में अभियुक्तगण 1. संजय पुत्र बदलू सिंह वर्तमान निवासी आर सी-1234, वन्दना विहार खोड़ा कालोनी गाजियाबाद स्थायी निवासी ग्राम बिचौला थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर 2. रंजीत पुत्र भीम सिंह वर्तमान निवासी आर सी-1234, वन्दना विहार खोड़ा कालोनी गाजियाबाद

स्थायी निवासी ग्राम नयाबांस थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर 3. अमन पुत्र प्रकाश सिंह वर्तमान निवासी लेबर चौक के पास म0नं0 192 गली नं0 04 वन्दना एन्कलेव खोड़ा कालोनी गाजियाबाद स्थायी पता ग्राम बिचौली थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर को, मा०न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-02 गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 30.01.2026 को धारा 302 सपठित धारा 34 भादवि में प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा 342 सपठित धारा 34 भादवि में प्रत्येक को 01 वर्ष का कारावास व 01-01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

वादी के भाई को अभियुक्तों द्वारा पकड़कर कमरे में बंद कर, मारपीट करके उसकी हत्या कर देने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 29.06.2023 को थाना खोड़ा पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को दिलाई आजीवन कारावास की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर अधिकाधिक सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक श्री नरेश कुमार सिंह तत्कालीन थाना प्रभारी थाना मसूरी द्वारा सुसंगत साक्ष्यों के क्रम में की गयी उच्च गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री रवि शर्मा द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना मसूरी, गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 302/34 भादवि व धारा 4/25 आयुध अधि0 में अभियुक्तगण 1. दीपक पुत्र रामभूल 2. जिले सिंह उर्फ जिल्ले पुत्र जगपाल सिंह जग्गा 3. रामभूल पुत्र जगपाल सिंह जग्गा निवासीगण अमीपुर बडला, थाना मसूरी गाजियाबाद को, मा०न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-07 गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 30.01.2026 को धारा 302 सपठित धारा 34 भादवि में प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 4/25 आयुध अधि0 में अभियुक्त दीपक को 01 वर्ष का कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियुक्तगण द्वारा वादी के भाई को पकड़ कर सीने में छुरा घोंपकर उसकी हत्या कर देने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 01.09.2019 को थाना मसूरी पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।